

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर,

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./ 27425/जोन जयपुर/2024/ 339

दिनांक 13/5/24

## ::आदेश::

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020 द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/ एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किये जाते हैं:-

क. स	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लक्ष्मी कुमावत	दू	26.07.1983	11.08.2020	29.04.2020	28-04-2022	29-04-2022
2	सुशीला कुमारी मनोहर	दू	23.12.1992	10.08.2020	29.04.2020	28-04-2022	29-04-2022
3	विधा कुमारी	दू	10.10.1989	08.10.2020	-	07-10-2022	08-10-2022

**नोट-** क.स. 1 एवं 02 पर अंकित कार्मिकों को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक को निकटतम कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ तथा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नकद परिलाभ देय होगा। उक्त आदेश वित्त विभाग की आई डी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक 13/5/24

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./ 27425/जोन जयपुर/2024/ 339  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक अधिकारी।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref 6967227 निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date: 13-05-2024 03:36:25